न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – अशोक कुमार योगी, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या–76/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		प्रमोद पुत्र श्यामलाल (संचालक) मैसर्स हंसराज ऑटो पार्टस पब्लिक पार्क रोड गंगाराम पेट्रोल पम्प के सामने, मेडतासिटी।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी

दिनांक –13.02.2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं 2 रिफिलिंग मोटर जो 10–10 फुट के पाईप व रेग्यूलेटर को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी उपस्थित हुए।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 17.12.22 को श्री पूरणकुमार उपखण्ड अधिकारी मेडता के नेतृत्व में श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, मेडता द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत गंगाराम पेट्रोल पम्प के सामने पब्लिक पार्क रोड पर स्थिति मैसर्स हसंराज ऑटो पार्टस पर, आकस्मिक जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री प्रमोद पुत्र श्यामलाल उपस्थित मिले जिन्होनें अपने आप को मैसर्स हंसराज ऑटो पार्टस का संचालक बताया। मौके पर प्रतिष्ठान की जांच करने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर 2 वाहनों में गैस भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली 2 रिफिलिंग मोटर जो 10–10 फुट के पाईप व रेग्यूलेटर से जुडी हुई पाई गई। प्रमोद से घरेलू गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री प्रमोद द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दुकान में भण्डारित 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं 2 रिफिलिंग मोटर जो 10–10 फुट के पाईप व रेग्यूलेटर को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया।

1(1) जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	गैस वजन
1	भारत गैस	653716-P	0.200 कि.ग्रा.
2	इण्डेन गैस	36389-P	0.100 कि.ग्रा.
3	इण्डेन गैस	364960-P	0.400 कि.ग्रा.
4	भारत गैस	422902	खाली
5	इण्डेन गैस	173634-T	खाली
6	भारत गैस	3318107	0.900 कि.ग्रा.
7	भारत गैस	6270-S	खाली

उपरोक्त 7 गैस सिलेण्डरों मय गैस एवं 2 रिफिलिंग मोटर जो 10–10 फुट के पाईप व रेग्यूलेटर को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स चारभुजा भारत गैस, मेडता के प्रतिनिधि श्री लक्ष्मण की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री प्रमोद का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 7 गैस सिलेण्डरों मय गैस एवं 2 रिफिलिंग मोटर जो 10–10 फुट के पाईप व रेग्यूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी के विरूद्व उक्त परिवाद गलत आधारों पर पेश किया है अप्रार्थी के कब्जे से कथित कोई गैस सिलेण्डर बरामद नहीं हुए है कथित जब्तसुदा सिलेण्डर प्रार्थी के दुकान पर आने वाले ग्राहको द्वारा रखे जाते है व कोई कामकाज करके जाते समय ले जाने का कह कर विश्वास के चलते कुछ समय के लिए वहां रख देते हैं जो सामान्यतया आवश्यकता पढने पर सभी करते है लेकिन उक्त सिलेण्डर को अप्रार्थी ने कभी किसी काम में नहीं लिया न अप्रार्थी ने किसी तरह से गैस का भण्डारण या वितरण का कार्य किया है केवल शक के आधार पर झूठी कार्यवाही की है तथा कथित सिलेण्डर दुकान के अन्दर भी नहीं थे बाहर साईड में थे ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के कब्जा से बरामदगी होना कतई गलत बताया है।

अपर कलक्टर, नागौर

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। दिनांक 17.12.22 को पूरणकुमार उपखण्ड अधिकारी मेडता के नेतृत्व में श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, मेडता द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं 2 रिफिलिंग मोटर जो 10–10 फुट के पाईप व रेग्यूलेटर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी प्रमोद पुत्र श्यामलाल से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो दण्डनीय अपराध है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं 2 रिफिलिंग मोटर जो 10–10 फुट के पाईप व रेग्यूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 07 गैस सिलेण्डर मय गैस एवं 2 रिफिलिंग मोटर जो 10–10 फुट के पाईप व रेग्यूलेटर का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर